न्यायालय जिला कलक्टर, नागौर

बइजलास– दिनेश कुमार यादव, आई.ए.एस

राजस्व अपील संख्या –53/2019

अपीलाण्ट	बनाम	रेस्पोडेण्ट्स
दिनेश कुमार आयु 32 वर्ष पुत्र नाथूराम जाति जाट निवासी जाटो का बास, मुन्दियाड तहसील मूण्डवा जिला नागौर		1. तहसीलदार, नागौर 2. सरकार जरिये पटवार हल्का नागौर

उपस्थितिः–

1. अपीलाण्ट की ओर से वकील श्री ठाकुर प्रसाद राठी एडवोकेट।
2. रेस्पोडेण्ट्स की ओर से राजपैरोकार श्री कुन्दनसिंह आचीणा।

निर्णय दिनांक 03/10/2019

अपीलान्ट द्वारा यह अपील राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के तहत तहसीलदार नागौर द्वारा मुकदमा नम्बर 30/2019 सरकार जरिये पटवारी नागौर बनाम दिनेश जाट अधीन धारा 91 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 में पारित निर्णय दिनांक 16.08.2019 से असंतुष्ट होकर दिनांक 21.08.2019 को प्रस्तुत की है। अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेण्ट्स को जरिये सम्मन तलब किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया गया।

वकुलाय की बहस सुनी। वकील अपीलाण्ट ने अपील में किये गये कथनों को दोहराते हुए कथन किया कि पटवारी हल्का नागौर द्वारा अपीलार्थी के विरूद्ध खसरा नम्बर 369/855 रकबा 20 बीघा किस्म सरकारी आवास व भवन हेतु आरक्षित भूमि पर 3200 वर्गफीट भू भाग पर नीवे भरकर अतिक्रमण करने बाबत एक रिपोर्ट पेश की। उक्त रिपोर्ट के पश्चात् अपीलार्थी को नोटिस जारी करना बताया गया तत्पश्चात् उक्त प्रकरण में पुनः निर्माण के बारे में शिकायत होने पर एक नोटिस और अपीलार्थी को जारी करना बताया गया। तत्पश्चात् उक्त प्रकरण में अपीलार्थी को बिना कोई सुनवाई का अवसर देते हुए उक्त प्रकरण में पटवारी के बयान लेकर अपीलार्थी को पश्चात्वर्ती अतिक्रमी मानते हुए अतिक्रमी घोषित किया जाकर 25/– रूपये के दण्ड सहित तीन माह के सिविल कारावास से दण्डित किया गया तथा बेदखल करके कब्जा राज हक में प्राप्त करने के आदेश पारित किये गये। उक्त निर्णय एंव आदेश से क्षुब्ध होकर अपीलार्थी ने यह अपील पेश की है।

निर्णय एंव आदेश जैर अपील विधि के सुस्थापित सिद्धान्तों एंव पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों से विपरीत होने के कारण प्रथम दृष्ट्या निरस्त किये जाने योग्य है। उक्त प्रकरण में अपीलार्थी के विरूद्ध जो कार्यवाही संस्थित की गई है वह कार्यवाही प्रथम दृष्ट्या धारा 91 आर.एल.आर. एक्ट के तहत् किये जाने योग्य नहीं है क्योकि वादग्रस्त भूमि आबादी क्षेत्र में आयी भूमि है जिसका पट्टा विलेख कार्यालय नगरपालिका मण्डल नागौर द्वारा नियमन पत्रावली संख्या 167/1991–92 के द्वारा जारी किया गया था। उक्त पट्टा विलेख कार्यालय उप पंजीयक नागौर के यहां दिनांक 12.10.2012 को पंजीबद्ध है। तत्पश्चात् उक्त पट्टा की भूमि में सें 4840 वर्गफीट भूमि अपीलार्थी ने जरिए पंजीबद्ध विक्रय विलेख क्रय की थी जो विक्रय विलेख उप पंजीयक नागौर के यहां दिनांक 25.09.2017 को पंजीबद्ध है। इस प्रकार उक्त वादग्रस्त भूमि प्रथम दृष्ट्या आबादी क्षेत्र में आयी भूमि है तथा नगरपरिषद नागौर द्वारा पट्टा विलेख जारी किया हुआ है ऐसी स्थिति में प्रत्यर्थी संख्या एक को उक्त भूमि को लेकर धारा 91 आर.एल.आर. एक्ट के तहत् कोई कार्यवाही करने का अधिकार प्राप्त नहीं होता है। इस आधार पर उक्त कार्यवाही निरस्त किये जाने योग्य थी। इस

कलक्टर, नागौर

Scanned by CamScanner

स्थिति पर अधीनस्थ न्यायालय ने किंचित मात्र भी घोर नहीं किया है। इस आधार पर निर्णय एंव आदेश जैर अपील निरस्त किये जाने योग्य है।

उक्त प्रकरण में अपीलार्थी को पश्चात्वर्ती अतिक्रमी कैसे व किस आधार पर माना है, क्योंकि ऐसा कोई पूर्व में अपीलार्थी के विरूद्ध धारा 91 का कोई कार्यवाही नहीं चली थी व न ही अपीलार्थी को अतिक्रमी मानकर कभी मौके पर से बेदखल किया गया था और न ही अपीलार्थी ने पुनः कोई कब्जा किया हो। ऐसी स्थिति में पश्चात्वर्ती अतिक्रमी मानने का कोई मामला ही नही था। यहां पर यह कथन करना प्रासंगिक रहेगा कि दिनांक 23.07.2019 को पटवारी हल्का की रिपोर्ट के आधार पर पश्चात्वर्ती अतिक्रमी मानने का आधार प्रत्यर्थी ने लिया है जो पूर्णतया गलत है। इस आधार पर अपीलार्थी को पश्चात्वर्ती अतिक्रमी मानने में प्रत्यर्थी संख्या एक ने विधि एंव तथ्य की भारी भूल की है। इस आधार पर निर्णय एंव आदेश जैर अपील निरस्त किये जाने योग्य है। उक्त प्रकरण में अपीलार्थी को सुनवाई का कोई अवसर नहीं दिया गया है जबकि प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के आधार पर किसी भी व्यक्ति को सुनवाई का अवसर दिये बिना उसके विरूद्ध इस प्रकार का दण्डादेश पारित करना कतई न्यायोचित नहीं है।

उक्त प्रकरण में वादग्रस्त भूमि पर अपीलार्थी का नगरपरिषद नागौर द्वारा जारी लीज डीड के आधार पर वैध एंव पर्याप्त प्रतिफल पर भूमि जरिए पंजीबद्ध विक्रय विलेख के क्रय करने के आधार पर है। अपीलार्थी किसी भी रूप या प्रकार से अतिक्रमी की परिभाषा में नहीं आता है इस स्थिति पर अधीनस्थ न्यायालय ने किंचित मात्र भी घोर नहीं किया है। उक्त प्रकरण में पत्रावली दिनांक 10.07.2019 से दिनांक 16.08.2019 की पेशी के लिए नियत की गई थी जबकि इसी दरमियान दिनांक 22.07.2019 को पत्रावली में कार्यवाही शुरू करके डे बाई डे सुनवाई बताकर दिनांक 16.08.2019 को उक्त निर्णय एंव आदेश पारित कर दिया जो कतई न्यायोचित नहीं है।

वकील अपीलान्ट ने बहस जारी रखते हुए यह भी कथन किया कि वादग्रस्त भूमि के संबंध में अपीलान्ट द्वारा माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर के समक्ष एस.बी. सिविल. रिट पीटिशन संख्या 12250/2019 दिनेश कुमार बनाम राजस्थान राज्य वगैरह प्रस्तुत की, जिसमें माननीय न्यायालय ने अपने आदेश दिनांक 20.08.2019 से आगामी पेशी 24.09.2019 तक उपखण्ड अधिकारी नागौर व तहसीलदार नागौर को याची को उसके स्वामित्व एवं कब्जाशुद 4840 वर्गफुट भूमि के कब्जे एवं उस पर निर्माण में दखलन्दाजी नहीं करने के निर्देश दिये गये है, तत्पश्चात आदेश दिनांक 24.09.2019 से उक्त प्रकरण में चार सप्ताह की पेशी दी जाकर अन्तरिम आदेश को तब तक बढाया गया है।

उक्त प्रकरण में प्रत्यर्थी संख्या 2 पटवारी हल्का नागौर जैसे व्यक्तिगत वैमनष्यता से कार्यवाही कर रही है ऐसा प्रतीत हो रहा है जो इस पत्रावली को देखने मात्र से प्रकट होने का कथन करते हुए अपीलार्थी की उक्त अपील स्वीकार की जाकर निर्णय एंव आदेश जैर अपील निरस्त घोषित किया जावे एंव धारा 91 आर.एल.आर.एक्ट की कार्यवाही खारिज किये जाने के आदेश प्रदान करने की कृपा कराने का निवेदन किया।

राजपैरोकार ने बहस में कथन किया कि हस्तगत प्रकरण में वादग्रस्त भूमि के संबंध में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर द्वारा रिट संख्या 12250/2019 में आदेश दिनांक 20.08.2019 से आगामी पेशी 24.09.2019 तक याची को उसके स्वामित्व एवं कब्जाशुद 4840 वर्गफुट भूमि के कब्जे एवं उस पर निर्माण में दखलन्दाजी नहीं करने के निर्देश दिये गये है, तत्पश्चात आदेश दिनांक 24.09.2019 से उक्त प्रकरण में चार सप्ताह की पेशी दी जाकर अन्तरिम आदेश को तब तक बढ़ाये जाना अवगत कराया है।

वकुलाय की बहस पर मनन किया सम्पूर्ण पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया। हस्तगत प्रकरण में कस्बा नागौर के खसरा नम्बर 369/855 रकबा 20 बीघा किस्म सरकारी आवास भवन हेतु (आबादी) की भूमि पर निवें भरकर 3200 वर्गफुट भूमि पर अपीलान्ट द्वारा अतिकमण करने की में पटवारी पटवार मण्डल नागौर की रिपोर्ट पर

Scanned by CamScanner

दिनांक 13.05.2019 को अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार नागौर द्वारा अपीलान्ट के विरूद्ध प्रकरण 30/2019 दर्ज कर अपीलान्ट को नोटिस जारी किया गया एवं अपीलान्ट नियत तारीख पेशी पर न्यायालय में अनुपस्थित रहा एवं आदेशिका तारीख पेशी 10.07.19 के अनुसार आगामी पेशी 16.08.2019 नियत की गई। तत्पश्चात फोन पर उक्त स्थान पर निर्माण कार्य चालू होने शिकायत प्राप्त होने पर तहसीलदार नागौर ने पत्रावली दिनांक 22.07.2019 को पेशी पर लेकर हल्का पटवारी व निरीक्षक नागौर को कार्य बंद किये जाने हेतु आदेश कमांक–150–151 दिनांक 22.07.19 से उक्त प्रकरण में विवादित जायगा पर दुबारा निर्माण कार्य हो रहा है, जिसे तुरन्त रूकवा कर फर्द मौका रिपोर्ट तैयार कर भिजवाने के निर्देश दिये गये, जिस पर पटवारी नागौर की फर्द मौका रिपोर्ट जिस पर अपीलान्ट के भी हस्ताक्षर है, के अनुसार वादग्रस्त खसरा नम्बर 369/855 जिसमें कार्य को तहसीलदार, पटवारी हल्का नागौर व भू अभिलेख निरीक्षक नागौर द्वारा बन्द करवाया गया था। सरपंच द्वारा बन्द करवाने पर भी 3200 वर्गफीट में कार्य शुरू करवा दिया, जिसे मौके पर पहुंच कर पटवारी नागौर द्वारा पुनः बंद करवाया जाना उक्त फर्द मौका रिपोर्ट में बताया गया है। उक्त संबंध में तहसीलदार नागौर द्वारा उक्त प्रकरण में अपीलान्ट को पुनः दिनांक 23.07.2019 को नोटिस तारीख पेशी 16.08.2019 का जारी कर उक्त कस्बा नागौर के वादग्रस्त खसरा नम्बर 369/855 की 3200 वर्गफुट भूमि में नीव खोद कर किये गये निर्माण को रूकवाने बाद दूसरी बार कार्य शुरू कर देने के संबंध में जबाब प्रस्तुत करने अन्यथा तीन माह के सिविल कारावास से दण्डित करने के संबंध में उक्त नोटिस जारी किया। तत्पश्चात अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार नागौर ने अपने निर्णय दिनांक 16.08.2019 से अपीलान्ट को वादग्रस्त भूमि से बेदखली, जुर्माना एवं तीन माह के सिविल कारावास से दण्डित किया है। उक्त निर्णय के विरूद्ध अपीलान्ट द्वारा यह अपील प्रस्तुत की गई है।

उक्त नोटिस दिनांक 23.07.2019 के विरूद्ध अपीलान्ट द्वारा माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर के समक्ष एस.बी.सिविल. रिट पीटिशन संख्या 12250/2019 दिनेश कुमार बनाम राजस्थान राज्य वगैरह प्रस्तुत की, जिसमें माननीय न्यायालय ने अपने आदेश दिनांक 20.08.2019 से आगामी पेशी 24.09.2019 तक उपखण्ड अधिकारी नागौर व तहसीलदार नागौर को याची को उसके स्वामित्व एवं कब्जाशुद 4840 वर्गफुट भूमि के कब्जे एवं उस पर निर्माण में दखलन्दाजी नहीं करने के निर्देश दिये गये है, तत्पश्चात आदेश दिनांक 24.09.2019 से उक्त प्रकरण में चार सप्ताह की पेशी दी जाकर अन्तरिम आदेश को तब तक बढाया गया है। अतः माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर के उक्त आदेश दिनांक 20.08.2019 एवं 24.09.2019 के सन्दर्भ में अधिनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय जैर अपील में पारित सिविल कारावास की सजा यथावत रखना उचित नहीं है।

अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत यह अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है। अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार नागौर द्वारा निर्णय जैर अपील में अपीलान्ट को दिये गये तीन माह का सिविल कारावास की सजा के आदेश को अपास्त किया जाता है। चूँकि हस्तगत प्रकरण में वादग्रस्त भूमि के संबंध में मामला उपरोक्तानुसार माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर में विचाराधीन है, ऐसी स्थिति में निर्णय जैर अपील में अपीलान्ट को वादग्रस्त भूमि पर से बेदखली व जुर्माना के संबंध में अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार नागौर द्वारा किये गये आदेश के संबंध में वर्तमान स्टेज पर किसी प्रकार का निर्णय दिया जाना उचित नहीं है। अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार नागौर को उनकी मूल पत्रावली लौटाते हुऐ निर्णय की प्रति पालनार्थ इस न्यायालय को भिजवाई जावे।

निर्णय सुनाया गया।

(दिनेश कुमार यादव)
जिला कलक्टर, नागौर

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Yadav
Date: 2020.05.26 17:31:42 IST
Reason: SelfAttested
Location: